भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2578

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

कोयला खानों की नीलामी

2578. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए ओडिशा के 14 कोयला ब्लॉक की नीलामी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के ऐसे कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है, जिनकी नीलामी की जाएगी;

(घ) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उक्त नीलामी से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है; और

(ड.) उक्त नीलामी किन उपबंधों और तंत्र के अंतर्गत की जाएगी?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग) : कोयले की बिक्री हेतु नीलामी के चालू दौर में 67 कोयला खानों की पेशकश की गई है। इन 67 कोयला खानों में से 14 कोयला खानें ओडिशा में स्थित हैं। इन 14 कोयला खानों की सूची नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**कोयला खान**
1	मच्छाकाटा
2	महानदी
3	नुआगांव तेलीसाही
4	रामचंदी प्रोमोशन ब्लॉक
5	अलकनंदा

6	बरताप
7	बूरापहार
8	बेलपहार का डिप एक्स.
9	चाताबर का डिप साइड
10	कर्दाबहल - ब्रह्मनबिल
11	कोसाला वेस्ट
12	फुलझरी ईस्ट एंड वेस्ट
13	सरधापुर उत्तर
14	तेंतुलोई

(घ) : केंद्र सरकार को नीलामी से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होगा। कोयले की बिक्री हेतु नीलामी के चालू दौर में प्रस्तावित 67 कोयला खानों से नीलामी प्रक्रिया के दौरान संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाले राजस्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इन 67 कोयला खानों में से 30 कोयला खानें आंशिक रूप से अन्वेषित हैं तथा नीलाम की जाने वाली खानों की संख्या का पता नहीं लग सकता है।

(ग) : कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत कोयला खानों की नीलामी की जाती है। राजस्व शेयरिंग आधार पर कोयला / लिग्नाइट की बिक्री हेतु कोयला और लिग्नाइट खानों / ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्यपद्धति 28.05.2020 को जारी की गई थी। कार्य पद्धति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- राजस्व शेयरिंग तंत्र पर आधारित। न्यूनतम प्रतिशतता 4%।
- पूर्ण रूप से अन्वेषित तथा आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए लागू।
- अपफ्रंट राशि अनुमानित भू-वैज्ञानिक भंडार के मूल्य पर आधारित है।
- सफलबोलीदाता को उद्धृत किए गए राजस्व शेयर के प्रतिशत, कोयले की कुल मात्रा तथा सैद्धांतिक अथवा वास्तविक मूल्य जो भी अधिक हो, के आधार पर मासिक राजस्व शेयर का भुगतान करना होगा।
- कोयले के शीघ्र उत्पादन, गैसीकरण एवं द्रवीकरण हेतु प्रोत्साहन।
- कोल बेड मीथेन के दोहन की अनुमति है।
- कोयले की बिक्री और / अथवा उपयोगिता पर कोई प्रतिबंध नहीं। कोयला उत्पादन शेड्यूल में और अधिक लचीलापन।

*****